	अपील सं0 32/2013 आर्म्स एक्ट अनवान रामलाल बनाम स्टेट	
27.6.2018	पत्रावली प्रस्तुत हुई । यह अपील शस्त्र अधिनियम की धारा–18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के अपीलांधीन आदेश दिनांक 12.3.2013 जिसके द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट श्री रामलाल के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 01/2003 डी.एम. हनुमानागढ निरस्त किया गया, के विरुध्द प्रस्तुत दिनांक 13.8.2014 से वास्ते बहस हेतु विचाराधीन है । प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक श्री गजेन्द्रसिंह उपस्थित । अभिभाषक अपीलान्ट श्री मुमताज अली एवं असद रजा भाटी बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अभिभाषक अपीलान्ट एवम् अपीलान्ट श्री रामलाल के नाम रुक–रुक कर आवाज लगवाई गयी । परन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । अतः यह अपील अपीलान्ट अदम हाजरी एवम् अदम पैरवी में खारिज की जाती है । आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो । पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । माननीय आयुक्त बीकानेर	